



कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला कोरिया( बैकुण्ठपुर), छ0ग0

Email - cmhokorea@gmail.com




प्रेस विज्ञप्ति

प्रशिक्षित मितानिन के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (महिला) तृतीय श्रेणी(जिला कोरिया हेतु) के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर परीक्षार्थियों की प्रोविजनल मेरिट सूची, अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूची का प्रकाशन दैनिक सामाचार पत्रों, जिले की वेबसाईट [www.korea.gov.in](http://www.korea.gov.in), विभागीय वेबसाईट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) एवं कार्यालय के सूचना पटल में दर्शित किया गया है अवलोकन करें। सीमित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 12.07.2021 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की मूलप्रति व 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया(बैकुण्ठपुर), छ0ग0 में उपस्थित होंगे।

— अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति को निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेंगे।

1. हाई स्कूल(10 वीं) प्रमाण पत्र सह अंकसूची।
2. हायर सेकेण्डरी(12 वीं) प्रमाण पत्र सह अंकसूची।
3. ए.एन.एम. प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र।
4. छ.ग. नर्सिंग कॉसिल में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र(आरक्षित वर्ग होने पर)।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
7. छ.ग. राज्य अंतर्गत मितानिन के रूप में 05 वर्ष का अबाधित(निरंतर) रूप से कार्यरत होने के संबंध में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र(SHRC) द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
8. आनलाईन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति।
9. दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा में समय केन्द्राध्यक्ष द्वारा मुद्रा सहित हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र(विकलांग होने पर)।
11. दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के समय प्रस्तुत स्वयं का कोई पहचान पत्र(पैन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अन्य कोई पहचान पत्र)।

किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दस्तावेज सत्यापन के समय उपरोक्तानुसार मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला कोरिया(बैकुण्ठपुर)छत्तीसगढ़



— गारुफ पहें. 2-गज की दूरी अपनाएँ. सायुज से हाथ धोएं —

